रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

26 FEB 1973

सं० 24] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 1973/माघ 11, 1894
No. 24] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 1973/MAGHA 11, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 31st January, 1973

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1972—March 1973 (Amendment No. 45)*

No. 12-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book for the year April 1972—March 1973, issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 47-ITC(PN)/72, dated the 3rd April, 1972.

2. The following amendment may be made at the appropriate place as indicated below:—

Page No. of the Red Book Vol. II		Reference	Amendment	
173		Y·5	After entry Y·4, the following may be inserted under Cols. 1 to 5:—	
1	2	3	4	5
Y·5	Postage stamps (whether used or unused).	35%	Postage stamps (whether used or unused).	(1) The exporter will have to register himself with the Chemicals and Allied Products Export Promotion Council, Calcutta.

1	2	3	4	5
	NOTE : This amendment will be applicable to exports made on or after 1-4-1972.		(2) Import replenishment would be allowed only on production of Bank Certificates showing receipt of foreign exchange against exports, in addition to the other prescribed documents.	

3. Consequent to the amendment referred to above, the entry "Postage stamps (whether used or unused).....Y·5" may be inserted alphabetically at the appropriate place in the Index of the above Red Book under the Product Group "Y MISCELLANEOUS EXPORT PRODUCTS."

4. The following items are classifiable under the product group "A. ENGINEERING GOODS" and fall under serial numbers shown against each :—

1	Fabricated steel moulding boxes	A·25
2	Paper washer with aluminium foil	A·61.2
3	Transistorised Harmonica	A·91·1
4	Tracks links assemblies and components thereof	A·122·1
5	Vibrating feeders (Electromechanical)	A·129·1
6	Reciprocating feeders (Electromechanical)	A·129·1
7	Apronfeeders (Electromechanical)	A·129·1
8	Double roll crushers	A·129·1
9	Reversible impact hammer crushers	A·129·1
10	Impact hammer mills	A·129·1
11	Single toggle jaw crushers	A·129·1
12	Double toggle jaw crushers	A·129·1
13	Moped wheel rims	A·136·3
14	Magdynamo/magneto	A·136·6
15	Pump valve (for pressure stoves)	A·153·9
16	Hpodermic needle cones (mounts)	A·163
17	Hydraulic dynamo-meter	A·163

5. The above items may be inserted alphabetically at the appropriate places in the Index of the above Red Book under the said product group.

6. The following amendments may be made in the Index of the above Red Book :—

(i) The entry "Know-out Units for mechanisation (Foundry).....A·129·1" appearing on page xiv of the Index may be deleted and the entry "Vibratory shake-out (knock-out) units for mechanisation (foundry).....A·129·1" may be inserted alphabetically under the product group "A. ENGINEERING GOODS".

(ii) The entry "Liquid/DDT sprayer.....A·50·1" appearing on page xiv of the Index may be deleted.

(iii) The serial number of the item "DDT sprayers (made of tin plate) appearing on page viii of the Index may be amended to read as "A·50·1".

K. S. NARANG,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1973

विषय.—अप्रैल, 1972–मार्च, 1973 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 45)

संख्या 12–आई० टी० सी० (पी एन)/73.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 47–आईटीसी (पी एन)/72, दिनांक 3–4/72 के अन्तर्गत अप्रैल, 1972–मार्च

1973 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रैडबुक) के वा० 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाए :—

रैडबुक (वा० 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन		
173	वाई 5	वर्तमान प्रविष्टि वाई के बाद निम्नलिखित को कालम 1 से 5 के अन्तर्गत निविष्ट किया जाए :—		
1	2	3	4	5
वाई 5	डाक टिकटें (प्रयुक्त अथवा अप्रयुक्त)	35 प्रतिशत	डाक टिकटें (प्रयुक्त अथवा अप्रयुक्त)	(1) निर्यातक को अपना नाम रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवधन परिषद्, कलकत्ता के पास पंजीकृत करवाना पड़ेगा। (2) अन्य निर्धारित दस्तावेजों के अलावा निर्यातों के मद्दे विदेशी मुद्रा की पावती को दर्शाने वाले बैंक प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत करने पर ही आयात प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी जाएगी।

टिप्पणी : यह संशोधन 1-4-1972 को या इससे पूर्व के किए गए निर्यातों के लिए लागू होगा।

3. उपर्युक्त संकेतित संशोधन के फलस्वरूप, प्रविष्टि "डाक टिकटें (प्रयुक्त अथवा अप्रयुक्त)———वाई 5" को उपर्युक्त रैड बुक के सूचक में उत्पाद वर्ग "वाई विविध निर्यात उत्पादों" के अन्तर्गत उपयुक्त स्थान पर वर्णक्रमानुसार शामिल किया जाए।

4. निम्नलिखित मदें उत्पाद वर्ग "ए अभियान्त्रिक माल" के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं और प्रत्येक के सामने दिखाई गई क्रम संख्या के अन्तर्गत आती है :—

1. गढ़े हुए इस्पात मोल्डिंग बक्से ए.25
2. एल्यूमिनियम फायल सहित कागज वाशर ए.61.2
3. ट्रांजिस्ट्राइज्ड हार्मोनिका.....ए.91.1
4. ट्रेक लिंक्स सहायक तथा उनके संघटक ए.122.1
5. कम्पन पोषक (इलैक्ट्रोमेकेनिकल) ए.129.1
6. पश्चाग्र पोषक (इलक्ट्रोमेकेनिकल) ए.129.1
7. पट्ट-पोषक (इलैक्ट्रोमेकेनिकल) ए.129.1
8. डबल रोल क्रशर्स ए.129.1

9. रिवर्सेबल इम्पैक्ट हैमर क्रशर्स ए० 129.1
10. इम्पैक्ट हैमर मिल्स .....ए. 129.1
11. सिंगल टागल जा क्रशर्स .....ए. 129.1
12. डबल टागल जा क्रशर्स .....ए. 129.1
13. मोपिड ह्वीलरिम .....ए. 136.3
14. मग्डीनेमा/मेग्निटो .....ए. 136.6
15. पम्प वाल्व (प्रेशर स्टोवों के लिए) .....ए. 153.9
16. हिपोडर्मिक नीडल कोन्स (माउन्ट्स) .....ए. 163
17. हाइड्रालिक डाइनेमो-मीटर .....ए. 163

5. उपर्युक्त मदों को उपर्युक्त रैड बुक के सूचक में उक्त उत्पाद वर्ग के अन्तर्गत उपयुक्त स्थानों पर वर्णक्रमानुसार शामिल किया जाए।

6. निम्नलिखित संशोधन उपर्युक्त रड बुक के सूचक में किए जाएं :—

(1) सूचक की पृष्ठ सं० 14 पर दिखाई गई प्रविष्टि "नो-आउट यूनिट्स फार मेकेनाइजेशन (फाउन्ड्री).....ए. 129.1" को हटाया जाए और प्रविष्टि "धाइब्रेट्री शेक-आउट (नाक-आउट) यूनिट्स फार मेकेनाइजेशन (फाउन्ड्री) .....ए.129.1" को उत्पाद वर्ग "ए. अभियान्त्रिक माल" के अन्तर्गत वर्णक्रमानुसार शामिल किया जाए।

(2) सूचक की पृष्ठ संख्या 14 पर दिखाई गई प्रविष्टि "तरल डीडीटी स्प्रेयर .....ए. 50.1" को हटाया जाए।

(3) सूचक की पृष्ठ सं० 8 पर दिखाई गई मद "डीडीटी स्प्रेयर (टिन प्लेट की बनी हुई)" की क्रम सं० को संशोधित कर "ए. 50.1." के रूप में पढ़ा जाए।

(के० एस० नारंग)
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973